

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

मिसल न० 31 / प्रा०पत्र / 21

सरकार जयें पुलिस थाना उन्हैल,
बनाम
अनिल वगै०

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 96 / 2021 थाना उन्हैल
जुर्म अन्तर्गत धारा 5,6,8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और
अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995
प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम वास्ते सुपुर्दगी वाहन
पिकअप एम०पी०-45 जी 2804



उपरिस्थित - श्री अविनाश गुप्ता अभिभाषक प्रार्थी
सहायक निदेशक अभियोजन


-: निर्णय :-

दिनांक: 29/11/2021

यह प्रा०पत्र प्रार्थी अनिल डामोर आ० कालू डामोर नि० पलासडोर थाना काकनवाणी जिला झाबुआ मध्य प्रदेश द्वारा जयें अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा०पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना उन्हैल द्वारा उपरोक्त जुर्म में दिनांक: 03.10.2021 को प्रार्थी का एक वाहन एम०पी० 45 जी 2804 जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रार्थी का उक्त वाहन गलत तौर पर झूठे आधार पर जप्त किया गया है। प्रार्थी के वाहन से उक्त पशुधन का मात्र किराया लेकर परिवहन किया जा रहा था उन्हे किसी तरह ठूस-ठूस कर नहीं भरा हुआ था तथा उनके हवा आने जाने भोजन जल आदि की यथोचित जगह थी। प्रार्थी का पशुधन से कोई लेना देना नहीं है पुलिस को उक्त वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना उन्हैल में अत्यधिक समय तक खडा रहता है तो प्रार्थी के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। प्रार्थी की सुपुर्दगी में वाहन दिया जाने पर सभी शर्तों की पालना की जावगी। वाहन को सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

प्रा०पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन एम०पी० 45 जी 2804 के मालिक अनिल डामोर आ० कालू डामोर नि० पलासडोर थाना काकनवाणी जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के वाहन को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जप्त किया गया है। साथ ही सभी गोवशं को ठूस-ठूस कर भरा होना मुह रस्सी से बंधे होना जिससे गोवशं के जगह जगह रगड के निशान होना अकनं किया गया है।

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का एक वाहन एम०पी० 45 जी 2804 को पुलिस द्वारा दिनांक: 03.10.2021 को जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क)में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गोवशं का परिवहन नहीं किया जा रहा था मात्र किराया लेकर गोवशं का परिवहन किया जा रहा था प्रा०पत्र स्वीकार कर जप्त शुदा ट्रक सुपुर्दगी में दिया जावे।



जिला कलक्टर
झालावाड़

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था । राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त ट्रक को अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार सभी गोवंश को ठूस-ठूस कर भरा होना मुह रस्सी से बंधे होना जिससे गोवंश के जगह जगह रगड के निशान होना अंकन किया गया है। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा स्वयं अपने बयान में अंकन किया गया है कि " कल दिनांक 03.10.2021 को मेरे परिवार के मेरे काका कसू को साथ लेकर मेरी पिकअप मैक्सट्रक प्लस जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर एम पी 45 जी 2804 से घसई गांव जो सुवासरा के पास मध्यप्रदेश में पडता है वहां दस मजदूर सोयाबीन काटने वाले उतारकर वहां से देवगढ होता हुआ राजाना गांव की सडक पर आकर चढा वहां रोजाना गांव की सडक के पास दो गाय दो बडे बछडे व दो छोटे बछडे आवारा चरते हुए मिल गये मेरे काका कसू ने कडा कि यहां आस पास कोई नही है इनको गाडी में भरकर ले चले और गांव के हाट में बेचकर रुपयों को बांट लेंगे मेरे भी लोभ आ गया हम घानो ने आवारा छ गोवंश मेरी पिकअप में भर लिये" । इस प्रकार उक्त गोवंश को चोरी कर निर्दयापूर्वक अवैध परिवहन की पुष्टी होती है, प्रार्थी द्वारा गोवंश को चोरी कर बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से एक ही पिकअप में ठसाठस भरकर 06 गोवंश को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995(धारा 5,6,8,9) की पुष्टी करता है।

अतः विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पुलिस थाना उन्हैल द्वारा प्र.सू.रि.स. 96/2021 में जप्त वाहन पिकअप एम पी 45 जी 2804 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं, इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना उन्हैल को जप्त वाहन पिकअप एम0पी0 45 जी0 2804 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी थाना उन्हैल के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे । राशि जमा नही कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जर्गे निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना उन्हैल को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


हरि मोहन मोना
जिला कलक्टर
सुवासरा 5